3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-9-X-2023-24-दिनांक:20-4-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

संख्या–57(1) /2023/001-971-24-1-2023-53-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज–211001
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज–211001
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–10/ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

संख्या–57/2023/001-971-24-1-2023-53-2023

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 09 मई, 2023**

विषय:–वित्तीय वर्ष 2023-24 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं को टैरिफ सब्सिडी हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या–1994/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय–व्ययक 2023-24/436, दिनांक 24 मार्च, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या–9 के लेखाशीर्ष 2801-05-800-08-20 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं को टैरिफ सब्सिडी हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 1500,00,00,000/- (रूपये एक हजार पॉच सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अप्रैल, 2023 से माह जनवरी, 2024 तक धनराशि रूपये 150,00,00,000/- (रूपये एक सौ पचास करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में माह के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

(2) प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण उसी मद में किया जायेगा।

(3) प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रपत्र संख्या–42जी/शुद्ध पत्र संख्या–426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(5) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,00,00,00,000 (रुपये पंद्रह अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय–व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 2801058000800 निजी नलकूप उपभोक्ताओं को टैरिफ सब्सिडी हेतु यू.पी.पी.सी.एल.को अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान – सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।